

उत्तर प्रदेश शासन
 प्राथमिक शिक्षा अनुभाग-2
 संख्या-1331/सोलह-2-2021
 लखनऊ, दिनांक: 26/08/2021

नियुक्ति/विज्ञप्ति

प्राथमिक शिक्षा विभाग (डिप्टोमा सेक्टर) उ० प्र० के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक, उ० प्र० में प्रवक्ता रसायन के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग, उ० प्र० की संरचना के आधार पर श्री राज्यपाल, निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता रसायन के पद पर वेतनमान रु०-15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु०-5400/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन संरचना लेवल-10) में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित संस्था में तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	लोक सेवा आयोग का क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम सर्व श्री/ श्रीमती/सुश्री-	गृह जनपद	तैनाती संस्था का नाम
1	2	3	4	5
1.	1	राहुल सिंह पुत्र श्री बृज भान सिंह	जौनपुर	राजकीय पालीटेक्निक, केनारा, सुल्तानपुर
2.	2	जागृति सिंह पुत्री स्व० अरुण कुमार सिंह	सुल्तानपुर	राजकीय पालीटेक्निक, बीघापुर, उन्नाव
3.	4	धंकरज कुमार रस्तोगी पुत्र श्री जय शंकर रस्तोगी	कैमुर (बिहार)	सन्त रविदास राजकीय पालीटेक्निक, चकिया, चन्दौली
4.	11	सिन्दूर जायसवाल पुत्र श्री मुनीब जायसवाल	गाजीपुर	राजकीय पालीटेक्निक, जगिरसण्ड, बलिया
5.	13	कपिल भारती पुत्र श्री कालीचरण भारती	मेरठ	राजकीय पालीटेक्निक, रामपुर
6.	23	ओम प्रकाश सिंह पटेल पुत्र श्री जगरुप सिंह	कौशाम्बी	राजकीय पालीटेक्निक, बरगठ, धनकुट

2- संबंधित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3- संबंधित अभ्यर्थियों को यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि वे अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लें अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।